



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239320
CG-DL-E-03102022-239320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944

No. 233]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी (ओआई) 04/2022]

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “व्हील लोडर्स” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/4/2022-डीजीटीआर.—मेसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड (बाद में 'आवेदक' के रूप में संदर्भित) ने घरेलू उद्योग की ओर से नामित प्राधिकारी (बाद में प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार एक आवेदन दायर किया है। 1995 में संशोधित और उसके बाद (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और चोट के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) "नियम"), "व्हील लोडर" (इसके बाद 'विषयगत सामान' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'डब्ल्यूएल' के रूप में संदर्भित) के आयात से संबंधित एंटी-डंपिंग जांच शुरू करने के लिए, चीन पीआर में उत्पन्न या निर्यात किया गया (इसके बाद संदर्भित) 'विषय देश' के रूप में)।

आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

1. वर्तमान जांच में पीयूसी “व्हील लोडर्स” है जो स्व-चालित, व्हील माउंटेड उपकरण है जिसमें एक आर्टिकुलेशन जोड़ होता है जिसमें फ्रंट एंड लोडिंग मैकेनिज्म होता है।
2. व्हील लोडर्स की निम्नलिखित विशेषताओं को जांच के क्षेत्र से बाहर कर दिया जाना चाहिए:-
 - क. 7000 कि.ग्रा. से अधिक की रोटेड पे लोड क्षमता ;
 - ख. 180 कि.वा. से अधिक की सकल इंजिन पावर
 - ग. 2280 मि.मि. से अधिक के दाएं एवं बाएं व्हील (व्हील ट्रेड/ट्रैक) के बीच केन्द्र पर मापित दूरी; और
 - घ. 3350 मिमी. से अधिक के फ्रंट एवं बैक व्हील एक्सेल के बीच मापित दूरी।
3. ऊपर उल्लिखित सभी उक्त पैरामीटर “और” शर्तें हैं। अन्य शब्दों में, कोई उत्पाद पीयूसी के क्षेत्र से तभी बहिष्कृत हो सकता है यदि वे साथ-साथ सारी उक्त शर्तों को पूरा करते हैं।
4. पीयूसी को सामान्यतः “व्हील लोडिंग शोवेल/व्हील लोडर/फ्रंट-एंड लोडर/व्हील लोडिंग शोवेल/व्हील लोडर” के रूप में जाना जाता है। एक व्हील लोडर या “डब्ल्यू एल” स्व-चालित व्हील माउंटेड उपकरण है जो एक आर्टिकुलेशन जोड़ के साथ फ्रंट और रियर चैसिस के साथ जुड़ा होता है। कोई डब्ल्यू एल लिफ्ट/लोअर प्रचालनों के साथ फ्रंट पर द्रवचालित संचालित शाखाओं हाइड्रोलिकली आपरेटिड आर्म्स के साथ भी फिटिड होता है। इसके अलावा, एक डब्ल्यू एल एक फ्रंट माउंटेड बकेट के साथ सज्जित होता है जो अनुप्रयोग पर आधारित फ्रंट पर बकेट और अन्य अटैचमेंट्स के प्रचालन के लिए एक टिल्टिंग सिलेंडर से समर्थित होता है। पीयूसी दायरे में अतिरिक्त कारकों के साथ व्हील लोडर्स शामिल हैं जो इस अनुप्रयोग के प्रयोजन हेतु सामग्री आदि के लोडिंग, शिफ्टिंग और डोजिंग जैसे अनिवार्य कार्यों के बाद के कार्यों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। शब्द “पीयूसी”, “व्हील लोडर्स” और “डब्ल्यू एल” का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है।
5. पीयूसी का सामान्यतः प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे लोडिंग, शिफ्टिंग, होपिंग, डोजिंग बल्क या बकेट्स का प्रयोग करते हुए डिस्क्रीट सामग्री या विभिन्न अटैचमेंट्स के प्रयोग के लिए किया जाता है। पीयूसी का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत इस्तेमाल के लिए किया जाता है जिनमें क्रशर्स में मैटीरियल हैंडलिंग और लोडिंग, रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट्स, माइनिंग, पोर्ट्स, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, अन्य सामान्य इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि शामिल हैं।
6. आवेदक ने माप की युनिट के रूप में संख्याओं/टुकड़ों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान जांच में पाटन और क्षति मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु उत्पाद नियंत्रण संख्या (“पीसीएन”) आधारित पद्धति का प्रस्ताव किया है क्योंकि व्यापारिक और तकनीकी पैरामीटरों के संदर्भ में उत्पादों में भिन्नता है।

मापदंड	रेंज	पीसीएन कोड
रोटेड पेलोड	4,000 किग्रा. तक	ए
	4,000 किग्रा. से अधिक	बी
इंजिन की सकल शक्ति	140 कि.वा. तक	1
	140 कि.वा. से अधिक	2
दाएं एवं बाएं व्हील के बीच केन्द्र पर मापित दूरी (व्हील ट्रेड/ट्रैक)	2100 मि.मी. से कम	एक्स
	2100 मि.मी. से अधिक	वाई
फ्रंट और बैक व्हील एक्सेल (व्हील बेस) के बीच मापित दूरी	3000 मि.मी. तक	यू
	3000 मि.मी. से अधिक	एम

7. हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना की तारीख से 20 दिनों के भीतर इस जांच के लिए पीयूसी /पी सी एन को अंतिम रूप देने के लिए अपनी टिप्पणियां या सुझाव दे सकते हैं।
8. पीयूसी को सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-1 के एच एस कोड 84295900 और 84295100 के अंतर्गत भारत में आयात किया जाता है। तथापि, यह संभव है कि संबद्ध वस्तुओं का अन्य शीर्षों के अंतर्गत भी आयात किया जाए और इसलिए सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं जिनको भारत में पाटित किए जाने का आरोप है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही वस्तुओं के समान वस्तु हैं। दोनों उत्पादों में तकनीकी विशेषताओं, कार्यों और अंतिम प्रयोग में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथमदृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी निर्णय देते हैं कि नियमावली के तहत इन दोनों को "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. आवेदक मै. जे.सी.बी. इंडिया लिमिटेड ("जेसीबी") द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक के अलावा, भारत में पीयूसी के अन्य विनिर्माता भी हैं।
11. आवेदक ने उपलब्ध कुल एकत्रित आंकड़ों से अन्य विनिर्माताओं के उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि अन्य भारतीय विनिर्माताओं में से मै. कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कैटरपिलर") और लियूगोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लियूगोंग इंडिया") संबद्ध देश से पी यू सी के नियमित निर्यातकों से संबंधित हैं और संबंधित निर्यातकों ने पी ओ आई के दौरान पीयूसी की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्यात और बिक्री की है। यह ध्यान में रखते हुए कि कैटरपिलर और लियूगोंग इंडिया पीयूसी के नियमित निर्यातकों से संबंधित हैं और ऐसे निर्यातकों ने पीओआई के दौरान पीयूसी की महत्वपूर्ण मात्रा का निर्यात किया है, इसलिए कैटरपिलर और लियूगोंग इंडिया को एडीडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत अपात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश या किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी निर्यातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातकों से संबंधित नहीं है।
12. यह देखा गया है कि जे सी बी पात्र घरेलू उत्पादन (अर्थात् कैटरपिलर और लियूगोंग के बहिष्करण के बाद भारतीय उत्पादन) के कुल उत्पादन के एक प्रमुख समानुपात के लिए उत्तरदायी है और इसलिए, वर्तमान आवेदन दायर करने के लिए अपेक्षित स्थिति में है।

घ. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के संदर्भ में, सामान्य मूल्य को चीन में लागतों के आधार पर या प्रचलित बिक्री कीमतों के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जब प्रतिवादी चीनी उत्पादक प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार-चालित सिद्धांतों पर आधारित है और ए डी डी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित प्रतिस्पर्धा की अनुमति देते हैं जिसके न हो सकने पर पर, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, सामान्य मूल्य को नियमावली के नियम 6(8) के अनुसरण में उत्पादन की लागत पर 5 प्रतिशत की दर पर एक उचित लाभ तथा एस जीए व्ययों के लिए उचित समायोजन के साथ यथा मानकों के रूप में भारत में उत्पादन की लागत को अपना कर निर्मित किया गया है।
14. संबद्ध वस्तु के विभिन्न पी सी एन के वाणिज्यिक एवं तकनीकी पैरामीटरों में महत्वपूर्ण अंतर के कारण, प्रत्येक पी सी एन के लिए सामान्य मूल्य को पृथक निर्धारित किया गया है। जांच की शुरूआत किए जाने पर विचार करने के लिए संबद्ध देश में सामान्य मूल्यों के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ii. निर्यात कीमत

15. संबद्ध देश के लिए संबद्ध वस्तुओं हेतु निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम आयात डाटा के आधार पर परिकलित किया गया है। समुद्री भाड़ा, अंतरदेशीय भाड़ा, संभलाई प्रभारों, समुद्री बीमा, डीलर्स कमीशन, बैंक प्रभारों और क्रेडिट लागत और बिक्री पश्चात सेवा व्ययों के लिए समायोजन किए गए हैं। इस प्रकार परिकलित की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

iii. पाटन मार्जिन

16. पीयूसी और पृथक पी सी एन के लिए कारखानागत स्तर पर सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना की गई है जो प्रथमदृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। अतः, इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद को पाटित किया जा रहा है।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है। आवेदक ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप सामना की जा रही क्षति के संबंध में और भारत में उत्पादन या खपत, कीमत कटौती और कीमत ह्रास तथा घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए एक क्षतिरहित कीमत पर पीयूसी के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्रियों, लाभप्रदता, निवेश पर आय, बाजार हिस्से और क्षमता उपयोग के संबंध में इसके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है।
18. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देश में महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमताओं, कीमत ह्रास और अत्यधिक मालसूची पर विचार करते हुए ये महत्वपूर्ण क्षति के खतरे का कारण बन रहे हैं।

च. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

19. आवेदक के विधिवत प्रमाण सहित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना को साबित करते हुए और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की विद्यमानता, मात्रा, और प्रभाव का निर्धारण करने, लागू शुल्कों को जारी रखने की जरूरत की समीक्षा करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जो यदि लागू किया जाता, तो घरेलू उद्योग की क्षतिको दूर करनेके लिए पर्याप्त होता, एक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

छ. संबद्ध देश

20. वर्तमान याचिका में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

21. आवेदक ने वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) को 2018-19, 2019-20, 2020-21 के रूप में क्षति जांच अवधि और जांच की प्रस्तावित अवधि सहित को 1 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2022 (15 महीने की अवधि) तक रखने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को 2018-19, 2019-20, 2020-21 और पी ओ आई के रूप में क्षति अवधि सहित जांच की अवधि के रूप में 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की 12 महीने की अवधि पर विचार करने का प्रस्ताव किया है।

झ. प्रक्रिया

22. वर्तमान जांच में उक्त नियमावली के नियम 6 के तहत बताए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

23. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv12-

dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फार्मेट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।

24. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।
25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <http://www.dgtr.gov.in/> पर नियमित रूप से नजर रखें।

ट. समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in जिसकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv12-dgtr@gov.in. पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

झ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
32. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
33. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।
34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि

सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
37. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना की गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

38. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उनसे उन अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके अगोपनीय पाठ को ई-मेल करने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होगी।

ढ. असहयोग

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

[Case No. AD (OI) - 04/2022]

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of “Wheel Loaders” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/4/2022-DGTR.—M/s. **JCB India Limited** (hereinafter referred to as the 'applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"), for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Wheeled Loaders" (hereinafter referred to as 'subject goods' or 'product under consideration' or 'WL') originating in or exported from **China PR** (hereinafter referred to as 'subject country').

The applicant has alleged that material injury is being caused to the domestic industry due to the dumped imports, originating or exported from the subject country and has requested the imposition of anti-dumping duties on the imports of subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

1. The PUC in the present investigation is “Wheel Loaders” which is self-propelled wheel-mounted equipment with an articulation joint, having front end loading mechanism.
2. The following specifications of the Wheel Loaders are to be excluded from the scope of the investigation:
 - a) Rated payload capacity of more than 7,000 Kg;

- b) Gross engine power above 180 kW.
- c) Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/ track) above 2280 mm;
and
- d) Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase) above 3350 mm.
3. All the above parameters mentioned above are 'and' conditions. In other words, a product is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.
4. The PUC is commonly known as "Wheel Loading Shovel/Wheel Loader/Front-end Loader/Wheeled Loading Shovel/Wheeled Loader". A Wheel Loader or "WL" is wheel-mounted, self-propelled equipment with front and rear chassis connected with an articulation joint. A WL is also fitted with hydraulically operated arms on the front with lift/lower operations. Further, a WL is equipped with a front-mounted bucket, which is supported by a tilting cylinder for operating the bucket and other attachments on the front based on application. The PUC scope includes Wheel Loaders with any additional features that provide for functions beyond the essential functions of loading, shifting, and dozing of materials, etc. For the purposes of this application, the terms "PUC", "Wheel Loaders" and "WL" are used interchangeably.
5. The PUC is generally used for varied applications such as loading, shifting, heaping, dozing bulk, or discrete materials using buckets or usage of various attachments. The PUC is generally used across different sectors including material handling and loading in crushers, Ready Mix Concrete (RMC) plants, Mining, Ports, Process industries, Other general engineering and industrial applications etc.
6. The applicant has proposed a product control number ("PCN") based methodology for the purposes of dumping and injury assessment in the present investigation, using numbers/pieces as the unit of measurement since the product varies in terms of commercial and technical parameters.

Criteria	Range	PCN Code
Rated payload	Up to 4,000 KG	A
	Above 4,000 KG	B
Engine gross power	Up to 140 kW	1
	More than 140 kW	2
Measured distance at the center between right and left wheel (wheel tread/ track)	Less than 2100 mm	X
	2100 mm and above	Y
Measured distance between the front and back wheel axles (wheelbase)	Up to 3000 mm	U
	More than 3000 mm	M

7. The interested parties can provide their comments or suggestions, if any, for the finalization of PUC/PCNs for this investigation within 20 days from the date of this initiation notification.
8. The PUC is generally imported into India under HS Codes 84295900 and 84295100 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. However, it is possible that the subject goods may also be imported under other headings and therefore, the Customs Tariff Heading is indicative only and is not binding on the scope of the product.

B. LIKE ARTICLE

9. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the technical specifications, functions and end-use of the two products. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable. Hence, for the purposes of the present investigation, the Authority holds that the two should be treated as "like article" under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The application has been filed by M/s JCB India Limited ("JCB"). In addition to the applicant, there are other manufacturers of the PUC in India.

11. The applicant has submitted the production data of other manufacturers from available aggregated data. It has been submitted that out of the other Indian manufacturers, M/s Caterpillar India Private Limited (“Caterpillar”) and Liugong India Private Limited (“Liugong India”) are related to exporters of the PUC from the subject country. The related exporters have exported and sold significant quantities of the PUC during the POI. Considering that Caterpillar and Liugong India are related to regular exporters of the PUC and such exporters exported significant quantities of the PUC during the POI, therefore, Caterpillar and Liugong India are considered to be ineligible domestic producers under Rule 2(b) of the ADD Rules. The applicant has submitted that it has not imported the subject goods from subject country or any other country during the POI. Further, it has been submitted that the applicant is not related to any of the exporters of the subject goods from the subject country, and importers of the subject goods in India.
12. It is seen that JCB accounts for a major proportion of the total production of the eligible domestic production (i.e., Indian production after excluding Caterpillar and Liugong) and therefore, has the requisite standing to file the present application.

D. BASIS OF ALLEGED DUMPING

I. NORMAL VALUE

13. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol, the normal value for Chinese producers may be determined based on costs or domestic selling prices prevailing in China, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market-driven principles and allow for fair comparison in terms of Para 1 to 6 of Annexure I to ADD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on para 7 and 8 of Annexure I to the rules. The Normal Value has therefore been constructed by adopting the cost of production in India as normated with due adjustment for SGA expenses and a reasonable profit at the rate of 5% on the cost of production in accordance with Para 6(8) of the Rules.
14. Owing to a significant difference in commercial and technical parameters of different PCNs of subject goods, the normal value for each PCN has been determined separately. There is sufficient *prima facie* evidence of normal values in the subject country to consider the initiation of the investigation.

II. EXPORT PRICE

15. The export price for subject goods for the subject country has been computed based on the DG Systems import data. Price adjustments have been made for ocean freight, inland freight, handling charges, ocean insurance, dealers commission, bank charges and credit cost and after-sale services expenses. There is sufficient *prima facie* evidence with regard to the net export price so computed.

III. DUMPING MARGIN

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level for the PUC and separate PCNs, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

E. INJURY AND CAUSAL LINK

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of price undercutting, and price suppression. The applicant has claimed that because of adverse price effect, its performance has deteriorated in respect of production, capacity utilization, sales, cash profit, profit, and return on investment. There is sufficient *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country.
18. The applicant has also claimed that imports are causing threat of material injury, considering significant surplus capacities in subject country, price suppression, and excess inventories.

F. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

19. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry pertaining to the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. SUBJECT COUNTRIES

20. The subject country in the present petition is China PR.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

21. The applicant had proposed the period of investigation ("POI") as 1st January 2021 to 31st March 2022 (period of 15 months), with the injury investigation period as 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the proposed period of investigation. However, the Authority has considered a period of 12 months from 1st April 2021 to 31st March 2022 as the period of investigation with injury period as 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI.

I. PROCEDURE

22. Principles, as stated under Rule 6 of the said Rules, shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

23. In view of the special circumstances arising out of the COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
24. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
25. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.
27. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME-LIMIT

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses jd12-dgtr@gov.in, and ad12-dgtr@gov.in with a copy to adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON A CONFIDENTIAL BASIS

30. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to the rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis.

However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

38. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. NON-COOPERATION

39. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority